न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2016/00141 दायरा दिनांक : 11.01.2016

उनवान

1. गोपाल पुत्र मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. सावित्री देवी पत्नी गोपाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. विशाल पुत्र गोपाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. त्रिलोक चन्द पुत्र बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. रमेश चन्द्र पुत्र बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. सुगना बाई पुत्री बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. गीता बाई पुत्री बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. जगदीश चन्द्र पुत्र मूलचन्द, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. सुमित्रा पुत्री मूलचन्द पत्नी चन्द्रभान, जाति कलाल, निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड, कोटा(राज0)
8. सुशीला पुत्री मूलचन्द पत्नि रामहेत, जाति कलाल, निवासी बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़(राज0)
9. शांतिबाई पुत्री मूलचन्द, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. दीपचन्द पुत्र कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. धन्नी बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड, कोटा(राज0)
12. जगन्नाथी बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    12/1. शांति बाई पत्नी श्यामा पुत्री कन्हैयालाल–जगन्नाथी, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
14. नीरज पुत्र श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
15. चन्दा बाई पुत्री श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
16. उषा बाई बेवा श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17. नन्दकिशोर पुत्र मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राह्मणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
18. देवीशंकर पुत्र भंवरलाल मृतक जरिये कायम मुकामान –
    18/1. श्याम सुन्दर पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/2. कमलेश पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/3. महेश पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी छप्पन लाख कोलोनी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/4. गायत्री पुत्री देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी चुरलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
19. प्रेम नारायण पुत्र भंवरलाल, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    19/1. मूलचन्द पुत्र प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    19/2. रामस्वरूप पुत्र प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    19/3. पुष्पलता पुत्री प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
20. ओम प्रकाश पुत्र भंवरलाल, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    20/1. रामबाबू पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    20/2. अनिल पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    20/3. सुनील पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    20/4. अजय पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    20/5. शान्ति बाई बेवा ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
21. मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    21/1. गुड्डीबाई पुत्री मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    21/2. ललित पुत्र मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    21/3. गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    21/4. गंगाबाई पुत्री मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
22. गिरराज पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी छप्पन लाख कालोनी, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
23. श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
24. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
25. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा,. जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेन्द्र जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2, 10, 12 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.11.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 64/2011 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 व 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तेलनी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या 33 की खसरा नं. 24 की 62 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 45 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा जुम्ला 3 किता की 75 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 22 के शामलाती खाते में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.07.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कब्जे एवं दस्तावेजों एवं साक्ष्य को नजर अन्दाज करके पारित किया गया है और अपीलांट के काउंटर क्लेम को अस्वीकार कर न्यायिक प्रकिया एवं विधि के विपरीत पारित किया गया है जो अवैध एवं अमान्य होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 4 द्वारा तथ्यों को छुपाकर Imposter प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम तेलनी तहसील अकलेरा की खाता सं. 33 की खसरा नं. 24 की 62.11 बीघा व खसरा नं. 39 की 1.08 बीघा व खसरा नं. 45 की 11.15 बीघा कुल 3 किता की 75 बीघा 14 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 23 व अपीलांट के शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम तेलनी की खाता सं. 32 की खसरा नं. 8 की 2.16 बीघा आराजी रेस्पोडेंट्स नं. 1 लगायत 23 व अपीलांट के शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह जवाब मय काउंटर क्लेम के दिनांक 28.08.2012 को पेश किया गया, जिसमें अपील की मद नं. 3 व 4 में आराजी होना स्वीकार किया तथा शेष वाद की मद नम्बर अस्वीकार की गई, वाद की मद नं. 3 शामिल होना स्वीकार किया, शेष मदें अस्वीकार की।

अपीलांट द्वारा अपने जवाब मय काउंटर क्लेम में व्यक्त किया गया कि आराजी मुतनाजा के खातेदार के द्वारा आराजी वाद दिनांक 29.10.1988 को पेश किया गया था जिस वाद को दिनांक 26.07.2000 को विड्रो कर लिया क्योंकि दौराने वाद खसरा नं. 45 की 11.15 बीघा आराजी का आधा हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 04.10.1997 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा खरीद कर लिया था तथा शेष आधा हिस्सा मौखिक रूप से बेचान कर दिया था तब से 1997 अपीलांट 1, 2, 3 का बइल्म रेस्पोडेंट्स आज दिन तक निरन्तर

(दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अबाध से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है अभी भी अपीलांट द्वारा बोई गई फसल खड़ी हुई है। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा निरन्तर आधार सहित 1997 से चला आ रहा है जिसे बेदखली की कार्यवाही की सीमा 12 वर्ष है और इस दौरान रेस्पोडेंट द्वारा किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जो समय बाधित होने से उक्त वाद 53–188 आर.टी. एक्ट का चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट (वादी) ने स्वच्छ हाथों से अधीनस्थ न्यायालय में प्रवेश नहीं किया, तथ्यों और वास्तविकता को छुपाकर गलत धाराओं में अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर **Imposter** (छल कपट और धोखेबाजी) द्वारा प्राथमिक डिक्री प्राप्त की जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन कर आपराधिक कृत्य भी कारित किया है और अब वह अपने अवैध कृत्यों द्वारा बैंक से लोन लेने एवं बेचने को तत्पर है जिससे अपीलांट के हितों को भारी आघात लगेगा जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं हो पायेगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेंट द्वारा प्राप्त की गई प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2015 खारिज फरमाया जाकर अपीलांट का दिनांक 28.08.2012 को पेश किया गया काउंटर क्लेम स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा बक्शी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की पारिवारिक विषम परिस्थितियों, अस्वस्थता, बीमारी की वजह से और ज्ञात होते ही नकल प्राप्त करने पर अन्दर मियाद पेश की। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 4 जो अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण थे इनके द्वारा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत दावा पेश किया जो डिक्री किया गया। अपीलांट नं. 1, 2, 3 जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण 20, 21, 22 थे इनकी ओर से काउंटर क्लेम पेश किया गया जो खारिज किया गया। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर **Imposter** प्राथमिक डिक्री प्राप्त की गई जो कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अपील में माननीय न्यायालय के समक्ष सारे दस्तावेजी प्रमाण आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत पेश किये गये हैं और उक्त अपील में कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील रिमाण्ड होने योग्य है। 2008 सी.डी.आर (एस.सी.) आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. महत्वपूर्ण है सर्वप्रथम माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त दस्तावेजात बमुश्किल केस की गहराई में जाने के बाद प्रस्तुत हुये इसलिए सर्वप्रथम अपीलांट के दस्तावेज शामिल फाईल किये जाने की आज्ञा बक्शी जावे। ग्राम तेलनी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या 33 की खसरा नं. 24 की 62 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 39 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 45 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा जुम्ला 3 किता की 75 बीघा 14 बिस्वा आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 22 के शामलाती खाते में स्थित है। जिसमें वादीगण 1 लगायत 4 का 1/12 हिस्सा है नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 की पेश है। ग्राम तेलनी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या 32 की खसरा नं. 8 की 2 बीघा 16

(दीप्ति [illegible]चन्द मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बिस्वा आराजी वादीगण तथा प्रतिवादीगण [illegible] पंचायत [illegible]9 के शामलाती खाते में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2063–2066 की पेश है और [illegible] 6 हिस्से की मांग की। प्रतिवादी नं. 20, 21, 22 की विशेष आपत्तियां एवं काउंटर क्लेम आराजी मुतनाजा के खातेदारान ने उक्त आराजी का वाद दिनांक 29.10.88 को पेश किया था जिस वाद की दिनांक 26.07.2000 / 10.04.2000 को विड्रो कर लिया क्योंकि दौराने वाद आराजी मुतनाजा ग्राम तेलनी, तहसील अकलेरा के माल की खसरा नं. 45 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण ने दिनांक 04.10.1997 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया, शेष आधे हिस्से अन्य सहखातेदारों ने प्रतिवादीगण को तीन लाख रूपये में मौखिक बेचान कर दिया, तब से सम्पूर्ण आराजी खसरा नं. 45 की 11 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त आराजी में से शामिल खातेदारान ने अपने अपने हिस्से की निम्न प्रकार विक्रय किया जो दस्तावेज आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत पेश किये गये हैं।

रजिस्ट्री उपपंजीयक अकलेरा के यहां सरदार बाई उम्र 75 वर्ष बेवा भंवरलाल कलाल ने दिनांक 04.10.1997 को अपीलांट नं. 2 सावित्री देवी पत्नी गोपाल कलाल को बेचान कर कब्जा संभलाया, केदारबाई उम्र 75 वर्ष बेवा गंगाराम कलाल ने दिनांक 04.10.1997 को अपीलांट नं. 3 को विशाल पुत्र गोपाल कलाल को बेचान कर कब्जा संभलाया, गोपाल बाई आयु 80 वर्ष बेवा रामगोपाल कलाल ने दिनांक 04.10.1997 को गोपाल लाल पुत्र मोतीलाल कलाल को बेचान कर कब्जा संभलाया।

एक दावा गोपाली बाई, सरदार बाई, केदार बाई द्वारा धारा 91, 53, 188 आर.टी.एक्ट का अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अकलेरा में दिनांक 29.10.1988 को पेश किया जो दिनांक 10.04.2000 को विड्रो कर लिया।

एक दावा बद्रीलाल, राजेन्द्र वगैरा ने सरदार बाई, केदार बाई, गोपाली बाई के खिलाफ धारा 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया जो दिनांक 26.07.2000 को विड्रो कर लिया।

दोनों दावों के तथ्यों को छुपा कर Imposter प्राथमिक डिक्री प्राप्त की रेस्पोडेंट सारे तथ्यों से परिचित थे, तथ्यों को छुपाकर डिक्री प्राप्त की जो अवैध व अमान्य है। दिनांक 30.07.2015 को उपखण्ड अधिकारी का निर्णय निरस्त होकर रिमाण्ड होने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2008 सी.डी.आर 707 (एस.सी.) पेज 53, 2016 (1) सी.जे.(सीआईवी) (राज0) पेज 227 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का हिस्सा डिक्री किया है, जो आधा हिस्सा रेस्पोडेंट ने बेचा था वह सावित्री के नाम दर्ज हो चुका है इसमें आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हिस्सा चाहते हैं तो नियमानुसार देय नहीं है। मौखिक बेचान करने व इसके बाद 12 साल तक हमारा कब्जा होने से आराजी पर हमारा अधिकार हो गया है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चल सम्पत्ति पर लागू होता है अचल सम्पत्ति पर नहीं लागू होता। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखी जावे। प्रतिवादी / अपीलांट का काउंटर क्लेम भी अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डिक्री सही है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1439, आर.

(दीप्ति [illegible] मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आर.टी. 2019(2) पेज 1388, आर.आर.टी. [illegible] पेज [illegible]7, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1037, आर.आर.टी. 2023[illegible] पेज 184 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व धारा 151 सी. पी.सी. के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विवाद के तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में यह कथन किया है कि खसरा नं. 45 की 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आधा हिस्सा अपीलांट ने दिनांक 04.10.1997 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर लिया था तथा शेष आधा हिस्सा मौखिक रूप से बेचान कर दिया था। 1997 से अपीलांट का निरन्तर अबाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट का कब्जा निरन्तर अबाध रूप से 1997 से चला आ रहा है जिसे बेदखली की कार्यवाही की सीमा 12 वर्ष है और इस दौरान रेस्पोडेंट द्वारा किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1997 गोपाल बाई, केदार बाई एवं सरदार बाई के हिस्से की आराजी क्रय करने के तथ्यों की पुष्टि होती है। यह क्रय शुदा आराजी अपीलांट के खाते दर्ज हो चुकी है। अपीलांट द्वारा खसरा नं. 45 की सम्पूर्ण आराजी क्रय करने बाबत कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। मौखिक बेचान व कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना वैधानिक रूप से न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. गोपाल पुत्र मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. सावित्री देवी पत्नी गोपाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. विशाल पुत्र गोपाल, जाति कलाल, निवासी दुर्गा मंदिर अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

......**अपीलांट**

बनाम

1. त्रिलोक चन्द पुत्र बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
2. रमेश चन्द्र पुत्र बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3. सुगना बाई पुत्री बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
4. गीता बाई पुत्री बद्रीलाल, जाति कलाल, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. जगदीश चन्द्र पुत्र मूलचन्द, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
7. सुमित्रा पुत्री मूलचन्द पत्नी चन्द्रभान, जाति कलाल, निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड, कोटा(राज0)
8. सुशीला पुत्री मूलचन्द पत्नि रामहेत, जाति कलाल, निवासी बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़(राज0)
9. शांतिबाई पुत्री मूलचन्द, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
10. दीपचन्द पुत्र कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
11. धन्नी बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी सुमन चिल्ड्रन स्कूल के सामने बालाकुण्ड, कोटा(राज0)
12. जगन्नाथी बाई पुत्री कन्हैयालाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    12/1. शांति बाई पत्नी श्यामा पुत्री कन्हैयालाल–जगन्नाथी, जाति कलाल, निवासी हाट चौक अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
13. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
14. नीरज पुत्र श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
15. चन्दा बाई पुत्री श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
16. उषा बाई बेवा श्यामलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
17. नन्दकिशोर पुत्र मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी ब्राहमणों के मन्दिर के पास अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
18. देवीशंकर पुत्र भंवरलाल मृतक जरिये कायम मुकामान –
    18/1. श्याम सुन्दर पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/2. कमलेश पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/3. महेश पुत्र देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    18/4. गायत्री पुत्री देवीशंकर, जाति कलाल, निवासी चुरलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
19. प्रेम नारायण पुत्र भंवरलाल, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –
    19/1. मूलचन्द पुत्र प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    19/2. रामस्वरूप पुत्र प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
    19/3. पुष्पलता पुत्री प्रेम नारायण, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

20. ओम प्रकाश पुत्र भंवरलाल, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –

20/1. रामबाबू पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

20/2. अनिल पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

20/3. सुनील पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

20/4. अजय पुत्र ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

20/5. शान्ति बाई बेवा ओम प्रकाश, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के सामने अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

21. मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक जरिये कायम मुकामान –

21/1. गुड्डीबाई पुत्री मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

21/2. ललित पुत्र मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

21/3. गजेन्द्र पुत्र मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

21/4. गंगाबाई पुत्री मोहनलाल, जाति कलाल, निवासी हाट चौक मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

22. गिरराज पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी छप्पन लाख कालोनी, अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)

23. श्यामलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ, जाति कलाल, निवासी पुराने थाने के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

24. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

25. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2016/00141** व नाराजगी डिक्री अदालत – **<u>उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा</u>**

मु.द.नं **64/2011** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक – **30.07.2015**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख **15** माह **10** सन् **2024**

हाजरी **श्री महेन्द्र जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री सी0पी0 खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 2, 10, 12 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.07.2015 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **12** माह **11** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

12/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)